रिवीजन क्रमांक. ------/2014

निगरानी 1645-PBR-15

प्रस्तुति दिनांक : ----------

माननीय राजस्व मंडल न्यायालय, ग्वालियर के समक्ष

श्री लोकेश दीक्षित 26/5/2018
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक.......
को प्रस्तुत
1239/26-5-15
अधीक्षक

1. गुरदीप पिता सरदार हरमेन्द्रसिंह भाटिया
उम्र 45 वर्ष धंधा कृषि

2. विजय पिता गुरदासमल
उम्र 43 वर्ष धंधा कृषि
दोनो निवासी इंदौर

..... **रिवीजनकर्ता**

विरूद्ध

1. विकास पिता रामजी गुप्ता
उम्र वयस्क निवासी 75, विवेकानंद नगर
कनाड़िया इंदौर

2. श्रीनाथ पिता लालाराम प्रजापत
उम्र वयस्क निवासी 78, एमआईजी कालोनी
रविशंकर शूक्ल नगर, इंदौर

....उत्तरदाता

निगरानी अर्न्तगत धारा 55 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

इसमें रिवीजनकर्तागणो की ओर से सादर सादर प्रस्तुत कर निवेदन हैं

कि :-

1. यह कि,सदर निगरानी रिवीजनकर्तागणो द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील महू जिला इंदौर के न्यायालय में प्रस्तुत सीमांकन करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसका प्रकरण क्रमांक 7-ए-12/2014-15 था जिसमें दिनांक 24.11.2014 से असंतुष्ट होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तत की जा रही हैं।

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1645-PBR/15 [गुरदीप / निशान]   जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-3-2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । यह प्रकरण वर्ष 2015 से ग्राह्यता के स्तर पर तर्क हेतु लम्बित है । ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रकरण का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन तहसील न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 24-11-14 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	